IWMP
परिपत्र क्र.2

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
(राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन)

क्र.3846/22/वि–9/आरजीएम/आईडब्ल्यूएमपी/2010 भोपाल, दिनांक 23/03/10

प्रति,

कलेक्टर,
जिला – समस्त

विषयः एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम (Integrated Watershed Management Programme - IWMP) के अंतर्गत परियोजना स्तर पर संस्थागत व्यवस्था के संबंध में।

1. <u>पृष्ठभूमि</u> :–

1.1 ज्ञातव्य है कि भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग द्वारा जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजनाओं के लिए एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम (Integrated Watershed Management Programme - IWMP) के नाम से नवीन योजना आरंभ की गई है। योजना के अंतर्गत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजनाओं के परिणाममूलक कार्यान्वयन के लिए पूर्णकालिक एवं समर्पित संस्थागत व्यवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण अवयव है।

1.2 उक्त के अनुक्रम में ऐसे जिले जिनमें IWMP योजना के अंतर्गत नवीन परियोजनायें स्वीकृत हुई हैं/होंगी, उनमें **परियोजना स्तर पर संस्थागत व्यवस्था** हेतु यह आदेश जारी किया जा रहा है।

2. <u>परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (Project Implementation Agency - PIA)</u> :–

2.1 परियोजना स्तर पर IWMP की प्रत्येक स्वीकृत परियोजना की आयोजना, कार्यान्वयन, अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण हेतु सौंपे गये दायित्वों का नियोजन परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा किया जायेगा। भारत सरकार द्वारा वाटरशेड विकास परियोजनाओं के लिए वर्ष 2008 में जारी मार्गदर्शी सिद्धांत के अनुसार इन परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों में राज्य/भारत सरकार के ऐसे सुसंगत विभागों, स्वायत्त संगठनों, ऐसे शासकीय संस्थानों/अनुसंधान निकायों, ऐसे स्वयंसेवी संगठनों को शामिल/चयन किया जायेगा, जिन्हें अधिमानतः जलग्रहण क्षेत्र विकास कार्यों के संबंध में विविध

पहलुओं या जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजनाओं के कार्यान्वयन व प्रबंधन का पूर्व अनुभव हो।

3. <u>वाटरशेड डेवलपमेंट टीम (Watershed Development Team- WDT)</u> :–

3.1 भारत सरकार द्वारा वाटरशेड विकास परियोजनाओं के लिए वर्ष 2008 में जारी मार्गदर्शी सिद्धांत के अनुसार वाटरशेड डेवलपमेंट टीम IWMP की स्वीकृत परियोजना हेतु नियुक्त परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी का एक अभिन्न अंग होगा। प्रत्येक वाटरशेड डेवलपमेंट टीम का गठन मुख्यतः निम्न विषयों अथवा समरूप विषयों में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता तथा अनुभव रखने वाले कम से कम 4 विशेषज्ञों (प्रत्येक विषय का एक – एक) को सदस्य के रूप में शामिल कर किया जायेगा :–

3.1.1 सिविल अभियांत्रिकी / कृषि अभियांत्रिकी

3.1.2 कृषि / उद्यानिकी / वानिकी / मृदा विज्ञान / मृदा संरक्षण / पर्यावरण विज्ञान / प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन

3.1.3 भूगर्भ शास्त्र / भूजल विज्ञान

3.1.4 सामाजिक कार्य / समाज शास्त्र / सामाजिक संगठन / ग्रामीण विकास व प्रबंधन / आजीविका प्रबंधन

3.1.5 लेखा संधारण व कार्यालयीन प्रबंधन

3.2 डब्ल्यू.डी.टी. के सदस्यों के पास उक्त उल्लेखित विषयों अथवा समरूप विषयों में कोई व्यावसायिक डिग्री तथा संबंधित क्षेत्र में 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। डब्ल्यू.डी.टी. में कम से कम 1 सदस्य महिला होगी।

4. <u>पी.आई.ए. तथा डब्ल्यू.डी.टी. के दायित्व</u> :–

4.1 IWMP की स्वीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजनाओं की आयोजना, कार्यान्वयन, अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण हेतु पी.आई.ए. तथा डब्ल्यू.डी.टी. के दायित्व निम्नानुसार होंगे :–

4.1.1 परियोजना के कार्य क्षेत्र में प्रारंभिक चरण के अंतर्गत वातावरण निर्माण तथा ग्रामीणों को परियोजना के उद्देश्यों, कार्यों और विविध पहलुओं से अवगत कराना। इसी चरण में प्रारंभिक कार्यकलाप (Entry Point Work) की आयोजना और गुणवत्तापूर्ण कार्यान्वयन करना।

4.1.2 परियोजना के कार्य क्षेत्र में ग्रामीणों तथा ग्राम समुदायों के साथ और वाटरशेड कमेटी की सक्रिय भागीदारी से सहभागी आधारमूलक सर्वेक्षण, सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन, सहभागी संसाधन सर्वेक्षण, नेट प्लानिंग, तकनीकी सर्वेक्षण, वैज्ञानिक सर्वेक्षण एवं अन्य प्रक्रियायें अपनाकर परियोजना के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मिट्टी, पानी और वानस्पतिक संसाधनों के संरक्षण, संवर्धन व विकास, संवहनीय ग्रामीण आजीविका तथा कृषि उत्पादन प्रणालियों के विकास हेतु उपयुक्त कार्यकलापों का चयन, हितग्राहियों का चयन, कार्य स्थलों का निर्धारण और उच्च गुणवत्तायुक्त तथा तकनीकी रूप से परिपूर्ण विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (Detailed Project Report) तैयार करना। इसमें प्रस्तावित कार्यों की इंजीनियरिंग डिजाईन व ड्राइंग स्थानीय विशिष्टताओं व तकनीकी मानकों के अनुसार तैयार करना, लागतों का निर्धारण, प्राक्कलन तैयार करना, विभिन्न मानचित्र तैयार करना और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने हेतु अन्य वांछित कार्य भी शामिल होंगे। इस कार्य में तकनीकी और वैज्ञानिक संगठनों से सहयोग लेना तथा समन्वय करना।

4.1.3 विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की ध्यानपूर्वक संवीक्षा करने के पश्चात जिला वाटरशेड सेल सह डाटा सेंटर को प्रस्तुत करना।

4.1.4 यह सुनिश्चित करने के लिए कि परियोजना रिपोर्ट में महिलाओं के प्रति संभावनाओं तथा उनके हितों को पर्याप्त रूप से सम्मिलित किया गया है, परियोजना के कार्य क्षेत्र में महिलाओं को संगठित करना।

4.1.3 परियोजना के कार्य क्षेत्र में उपयोगकर्ता समूहों, स्वसहायता समूहों तथा वाटरशेड समिति का गठन करवाना, इन्हें विकसित/पोषित करना, इनके कार्यों में सहयोग, समन्वय और मार्गदर्शन प्रदान करना और इन्हें अधिकार संपन्न बनाने हेतु आवश्यक तंत्र स्थापित करना। सामुदायिक संगठन हेतु अन्य कार्य करना।

4.1.4 परियोजना के कार्य क्षेत्र में वाटरशेड समिति को मार्गदर्शन प्रदान कर वार्षिक कार्य योजना तैयार कराना तथा इसका अनुमोदन प्राप्त करना।

4.1.5 विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन अनुसार परियोजना कार्यान्वित करने के लिए परियोजना के कार्य क्षेत्र में वाटरशेड समिति को तकनीकी सहायता, मार्गदर्शन एवं समन्वय प्रदान करना।

4.1.6 परियोजना के कार्य क्षेत्र में विभिन्न स्टेक होल्डर की क्षमता निर्माण करना और उन्हें परियोजना के विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण प्रदान करना। तत्संबंध में जिला वाटरशेड सेल सह डाटा सेंटर से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करना।

4.1.7 ग्रामीण सामुदायिक संगठनों अथवा परियोजना से संबंधित विभिन्न संगठकों के विवादों का समाधान करना, ताकि परियोजना के कार्य प्रभावित न हो।

4.1.8 परियोजना के कार्य क्षेत्र में लक्षित हितग्राहियों के स्वसहायता समूहों के लिए संवहनीय आजीविका के विकास कार्यों की योजनाओं को तैयार करने और कार्यान्वयन में मार्गदर्शन, सहायता और समन्वय प्रदान करना।

4.1.9 परियोजना के कार्य क्षेत्र में कार्यों के कार्यान्वयन में किफायती तकनीकों/प्रौद्योगिकियों, अभिनव तकनीकों/प्रौद्योगिकियों, स्थानीय व ग्रामीणों के अनुभवों पर आधारित तकनीकों/प्रौद्योगिकियों को अपनाना तथा प्रोत्साहित करना।

4.1.10 परियोजना के कार्य क्षेत्र में अन्य कार्यक्रमों के साथ अभिसरण (Convergence) कर वेल्यू एडीशन करना और अन्य विकास कार्य कराना।

4.1.11 परियोजना के कार्य क्षेत्र में सार्वजनिक सम्पत्ति संसाधन प्रबंधन (Common Property Resource Management) तथा इसमें ग्रामीणों की समान भागीदारी करना।

4.1.12 परियोजना के कार्य क्षेत्र में कार्यान्वित हो रहे कार्य का पर्यवेक्षण, निगरानी, अनुश्रवण, आकलन, वास्तविक सत्यापन और मापन का कार्य करना।

4.1.13 परियोजना दस्तावेजों, लेखों, अभिलेखों, रिकार्ड व रजिस्टर का संधारण, रख–रखाव, निरीक्षण, प्रमाणीकरण करना। नियमित अंतराल पर लेखापरीक्षा की व्यवस्था करना।

4.1.14 परियोजना के कार्य क्षेत्र में आरंभ किए गए कार्यों की भौतिक और वित्तीय प्रगति का अंकेक्षण करना, प्रगति संधारित करना, मूल्यांकन करना/कराना तथा समाजिक लेखा–परीक्षा की व्यवस्था करना। प्रत्येक कार्य के पूर्ण होने पर संपूर्ण

विवरण सहित पूर्णता रिपोर्ट तैयार करना। नियमित अंतराल पर प्रगति प्रतिवेदन तथा कार्य पूर्णता रिपोर्ट जिला वाटरशेड सेल सह डाटा सेंटर को प्रस्तुत करना। जिला स्तरीय वाटरशेड सेल सह डाटा सेंटर द्वारा मांगे जाने पर परियोजना संबंधी सभी दस्तावेज व अभिलेख निगरानी के लिए उपलब्ध कराना।

4.1.15 भविष्य में उपयोग के लिए परियोजना के कार्यों के कार्यान्वयन से प्राप्त प्रतिफल/परिणामों, सफल अनुभवों तथा अर्जित ज्ञान के आलेख तैयार करना।

4.1.16 परियोजना उपरांत प्रचालन, अनुरक्षण तथा परियोजना अवधि के दौरान सृजित संरचनाओं/परिसम्पत्तियों के उपयोग, रख रखाव व इनसे जनित संसाधनों, उत्पादों व लाभों के विपणन, उपयोग तथा वितरण की उपयुक्त प्रणालियां और व्यवस्थाएं स्थापित करने में वाटरशेड समिति को सहयोग प्रदान करना।

4.1.17 सौंपे गये दायित्वों के अनुक्रम में परियोजना के कार्यकलापों के लिए आवश्यक अनुमोदन/स्वीकृतियां प्राप्त करना। परियोजना के कार्यकलापों के कार्यान्वयन हेतु निर्दिष्ट मदों में प्राप्त होने वाली राशि का परियोजना खाते में समुचित संधारण और अनुमोदित/स्वीकृत कार्यकलापों के निष्पादन/कार्यान्वयन के लिए निर्धारित मानदण्ड तथा वित्तीय नियमों के अनुसार इस राशि का समुचित उपयोग, भुगतान इत्यादि सुनिश्चित करना तथा संबंधित लेखों, रिकार्ड व रजिस्टर का नियमित संधारण, परीक्षण व निगरानी कर समुचित वित्तीय प्रबंधन करना। नियमित लेखा परीक्षण और लेखा अंकेक्षण कराना।

4.1.18 सौंपी गई परियोजना के नियोजन व प्रबंधन हेतु परियोजना के कार्य क्षेत्र में पूर्णकालिक कार्यालय का प्रचालन करना।

4.1.19 भारत सरकार; ग्रामीण विकास मंत्रालय; भूमि संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश शासन; पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मिशन मुख्यालय तथा जिला वाटरशेड सेल सह डाटा सेंटर द्वारा परियोजना की आयोजना, कार्यान्वयन तथा अनुश्रवण हेतु समय समय पर सौंपे गये दायित्वों का निर्वहन करना और दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना।

4.2 जिला वाटरशेड सेल सह डाटा सेंटर द्वारा परियोजनावार नियुक्त पी.आई.ए. व गठित डब्ल्यू.डी.टी. के साथ समझौता अनुबंध (MoU) निष्पादित किया जायेगा, जिसमें सभी पक्षों के दायित्वों, सुनिर्धारित लक्ष्यों व वार्षिक परिणामों का उल्लेख होगा, जिसके आधार पर प्रत्येक वर्ष पी.आई.ए. व डब्ल्यू.डी.टी. के कार्य निष्पादन की निगरानी की जायेगी तथा मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा परियोजना का नियमित आधार पर मूल्यांकन किया जायेगा। समझौता अनुबंध का प्रारूप **अनुलग्नक – 1** पर है, जिसमें अन्य आवश्यक कंडिकायें जोड़कर अथवा परिष्कृत कर उपयोग किया जा सकता है।

5. <u>पी.आई.ए. का चयन व नियुक्ति, डब्ल्यू.डी.टी. का गठन एवं अनुमोदन</u> :–

5.1 भारत सरकार द्वारा IWMP की स्वीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजनाओं के लिए पी.आई.ए. चयन एवं डब्ल्यू.डी.टी. गठन तथा अनुमोदन की व्यवस्था निम्नानुसार प्राथमिकता क्रम में की जायेगी :–

5.1.1 प्रथम प्राथमिकता पर मिशन मुख्यालय द्वारा पैरा – 3.1 व 3.2 अनुसार विषय विशेषज्ञों का संविदा आधार पर चयन कर डब्ल्यू.डी.टी. के सदस्य व टीम लीडर निर्दिष्ट परियोजना/परियोजनाओं के लिए उपलब्ध कराये जायेंगे। इनका मानदेय/पारिश्रमिक मिशन मुख्यालय द्वारा निर्धारित तथा समय समय पर संशोधित मानदण्ड अनुसार होगा और संबंधित परियोजना के प्रशासकीय मद में विकलनीय होगा। इस प्रकरण में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग पी.आई.ए. होगा। इस अनुक्रम में जिला वाटरशेड सेल सह डाटा सेंटर द्वारा निर्दिष्ट परियोजना हेतु पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को पी.आई.ए. नियुक्त करने तथा इसके अधीन मिशन मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई डब्ल्यू.डी.टी. के गठन की अधिसूचना जारी की जायेगी, जिसकी एक प्रति मिशन मुख्यालय को प्रेषित की जायेगी।

5.1.2 द्वितीय प्राथमिकता पर मिशन मुख्यालय द्वारा निर्धारित मानदण्डों और प्रक्रिया अनुसार चयनित एवं राज्य शासन द्वारा अनुमोदित स्वयंसेवी संगठनों/कार्पोरेट सेक्टर के संगठनों को निर्दिष्ट परियोजना/परियोजनाओं के लिए पी.आई.ए. के रूप में अनुशंसित किया जायेगा। इस प्रकार अनुशंसित होने पर संबंधित स्वयंसेवी संगठन/कार्पोरेट सेक्टर द्वारा 1 माह के भीतर पैरा – 3.1 व

3.2 अनुसार योग्य एवं अनुभव प्राप्त विषय विशेषज्ञों की डब्ल्यू.डी.टी. गठित कर इसके सदस्यों व टीम लीडर की जानकारी (योग्यता व अनुभव के विवरण सहित) और संस्था के शासी निकाय (Governing Body/General Body) तथा कार्यकारी समिति (Executive Committee) की प्रमाणिक जानकारी जिला वाटरशेड सेल सह डाटा सेंटर को उपलब्ध कराई जायेगी। जिला वाटरशेड सेल सह डाटा सेंटर द्वारा इसका परीक्षण किया जायेगा तथा वांछित योग्यता व अनुभव वाले विशेषज्ञ न होने पर स्वयंसेवी संगठन/कार्पोरेट सेक्टर से डब्ल्यू.डी.टी. के सदस्यों का पुनः चयन करवाकर पुनरीक्षित गठन कराया जायेगा। स्वयंसेवी संगठन/कार्पोरेट सेक्टर द्वारा गठित डब्ल्यू.डी.टी. का विवरण जिला वाटरशेड सेल सह डाटा सेंटर द्वारा जिला कलेक्टर एवं मिशन लीडर के माध्यम से मिशन मुख्यालय को भेजकर अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। यह अनुमोदन प्राप्त होने पर जिला वाटरशेड सेल सह डाटा सेंटर निर्दिष्ट परियोजना के लिए मिशन मुख्यालय से अनुशंसित स्वयंसेवी संगठन/कार्पोरेट सेक्टर के संगठन को पी.आई.ए. नियुक्त करने तथा इनके द्वारा उपलब्ध कराई गई डब्ल्यू.डी.टी. के गठन किये जाने की अधिसूचना जारी करेगा, जिसकी एक प्रति मिशन मुख्यालय को प्रेषित की जायेगी। स्वयंसेवी संगठन/कार्पोरेट सेक्टर के पी.आई.ए. नियुक्त होने पर उनके द्वारा गठित डब्ल्यू.डी.टी. को देय मानदेय/पारिश्रमिक संबंधित परियोजना के प्रशासकीय मद में विकलनीय होगा।

5.1.3 मिशन मुख्यालय द्वारा निर्देशित किये जाने पर तृतीय प्राथमिकता पर शेष परियोजनाओं के लिए पी.आई.ए. चयन व नियुक्ति तथा डब्ल्यू.डी.टी. के गठन की कार्यवाही जिला वाटरशेड सेल सह डाटा सेंटर द्वारा की जायेगी। इस हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया अपनाई जायेगी :–

5.1.3.1 जिले में स्थित कृषि विज्ञान केन्द्र/जलग्रहण क्षेत्र विकास कार्यों अथवा समरूप कार्यों में शोधरत शासकीय अनुसंधान केन्द्र तथा शासकीय विभागों नामतः कृषि विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, जल संसाधन

विभाग, वन विभाग और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के जिले में स्थित न्यूनतम अनुविभाग स्तरीय संगठन/संगठन (जिसका प्रभारी अधिकारी न्यूनतम द्वितीय श्रेणी राजपत्रित अधिकारी है) अथवा उच्च संगठन पी.आई.ए. के चयन के लिए पात्र होंगे।

5.1.3.2 जिला वाटरशेड सेल सह डाटा सेंटर द्वारा पैरा – 5.1.3.1 अनुसार पात्र पी.आई.ए. के केन्द्र प्रभारी/प्रभारी अधिकारी को परियोजना के कार्य क्षेत्र और कॉमन वाटरशेड गाइड लाईन प्रेषित कर उनसे पी.आई.ए. के रूप में कार्य करने की सहमति प्राप्त की जायेगी।

5.1.3.3 जिला वाटरशेड सेल सह डाटा सेंटर द्वारा सहमति प्राप्त संगठनों का विवरण जिला कलेक्टर एवं मिशन लीडर के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा, जो प्रत्येक परियोजना हेतु इनमें से उपयुक्त पी.आई.ए. के पैनल का चयन करेंगे।

5.1.3.4 उपरोक्तानुसार परियोजनावार चयनित पी.आई.ए. का संपूर्ण विवरण (संगठन का नाम, प्रभारी अधिकारी का पदनाम, योग्यता एवं अनुभव) जिला वाटरशेड सेल सह डाटा सेंटर द्वारा जिला कलेक्टर एवं मिशन लीडर के माध्यम से मिशन मुख्यालय को भेजकर अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

5.1.3.5 मिशन मुख्यालय द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्र/शासकीय अनुसंधान केन्द्र को पी.आई.ए. अनुमोदित किये जाने पर संबंधित कृषि विज्ञान केन्द्र/शासकीय अनुसंधान केन्द्र द्वारा 1 माह के भीतर पैरा – 3.1 व 3.2 अनुसार योग्य एवं अनुभव प्राप्त विषय विशेषज्ञों की डब्ल्यू.डी.टी. गठित कर इसके सदस्यों व टीम लीडर की जानकारी (योग्यता व अनुभव के विवरण सहित) जिला वाटरशेड सेल सह डाटा सेंटर को उपलब्ध कराई जायेगी। जिला वाटरशेड सेल सह डाटा सेंटर द्वारा इसका परीक्षण किया जायेगा तथा वांछित योग्यता व अनुभव वाले विशेषज्ञ न होने पर कृषि विज्ञान केन्द्र/शासकीय अनुसंधान केन्द्र से

डब्ल्यू.डी.टी. के सदस्यों का पुनः चयन करवाकर पुनरीक्षित गठन कराया जायेगा। कृषि विज्ञान केन्द्र/शासकीय अनुसंधान केन्द्र द्वारा गठित डब्ल्यू.डी.टी. का विवरण जिला वाटरशेड सेल सह डाटा सेंटर द्वारा जिला कलेक्टर एवं मिशन लीडर के माध्यम से मिशन मुख्यालय को भेजकर अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। यह अनुमोदन प्राप्त होने पर जिला वाटरशेड सेल सह डाटा सेंटर निर्दिष्ट परियोजना के लिए कृषि विज्ञान केन्द्र/शासकीय अनुसंधान केन्द्र के संगठन को पी.आई.ए. नियुक्त करने तथा इनके द्वारा उपलब्ध कराई गई डब्ल्यू.डी.टी. के गठन किये जाने की अधिसूचना जारी करेगा, जिसकी एक प्रति मिशन मुख्यालय को प्रेषित की जायेगी।

5.1.3.6 पैरा 5.1.3.1 में उल्लेखित शासकीय विभाग/विभागों के संगठनों को मिशन मुख्यालय द्वारा पी.आई.ए. अनुमोदित किये जाने पर जिला वाटरशेड सेल सह डाटा सेंटर द्वारा 15 दिवस के भीतर जिले में स्थित शासकीय विभागों के संगठनों के द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक अधिकारियों में से पैरा – 3.1 व 3.2 अनुसार योग्य एवं अनुभव प्राप्त विषय विशेषज्ञ चयन कर डब्ल्यू.डी.टी. गठित की जायेगी। गठित डब्ल्यू.डी.टी. का विवरण जिला वाटरशेड सेल सह डाटा सेंटर द्वारा जिला कलेक्टर एवं मिशन लीडर के माध्यम से मिशन मुख्यालय को भेजकर अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। इस प्रकरण में शासकीय विभाग का पी.आई.ए. के रूप में नियुक्त जिला स्तरीय संगठन का प्रभारी अधिकारी संबंधित परियोजना का टीम लीडर होगा। इस अनुक्रम में जिला वाटरशेड सेल सह डाटा सेंटर द्वारा निर्दिष्ट परियोजना हेतु शासकीय विभाग के जिला स्तरीय संगठन को पी.आई.ए. नियुक्त करने तथा इसके साथ डब्ल्यू.डी.टी. के गठन की अधिसूचना जारी की जायेगी, जिसकी एक प्रति मिशन मुख्यालय को प्रेषित की जायेगी। तात्कालिक आवश्यकता होने पर विकल्प के तौर पर पैरा 5.1.1 में

उल्लेखित अनुसार मिशन मुख्यालय द्वारा संविदा आधार पर अन्य परियोजनाओं के लिए उपलब्ध कराई गई डब्ल्यू.डी.टी. के सदस्यों को उन परियोजनाओं के लिए डब्ल्यू.डी.टी. के दायित्वों के निर्वहन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जा सकता है, जिनके लिए शासकीय विभाग/विभागों के संगठनों को पी.आई.ए. नियुक्त किया गया है।

5.1.3.7 कृषि विज्ञान केन्द्र/शासकीय अनुसंधान केन्द्र/शासकीय विभाग के पी.आई.ए. नियुक्त होने पर टीम लीडर और शासकीय विभागों से अधिकारियों का चयन कर डब्ल्यू.डी.टी. गठित करने पर उसके सदस्यों का वेतन पैतृक विभाग से देय होगा।

5.1.4 जिला वाटरशेड सेल सह डाटा सेंटर द्वारा पी.आई.ए. की नियुक्ति व डब्ल्यू.डी.टी. के गठन हेतु जारी की जाने वाली अधिसूचना का सांकेतिक प्रारूप **अनुलग्नक – 2** पर है, जिसे आवश्यकतानुसार परिवर्तन/संशोधन कर उपयोग किया जा सकता है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

हस्ता/–
(अजय तिर्की)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ.क्र. 3847/22/वि–9/आरजीएम/आईडब्ल्यूएमपी/2010 भोपाल, दिनांक 23/03/10
प्रतिलिपि :–

1. संभाग आयुक्त, संभाग – समस्त की ओर सूचनार्थ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, **जिला पंचायत– समस्त** की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

हस्ता/–
(अजय तिर्की)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

अनुलग्नक – 1

जिला वाटरशेड सेल सह डाटा सेंटर तथा पी.आई.ए. के मध्य किये जाने वाले समझौता अनुबंध का प्रारूप

1/ भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग के ज्ञापन क्र....., दिनांक ..... द्वारा एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम (Integrated Watershed Management Programme) के अंतर्गत रू. ..... लाख की लागत से स्वीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजना : IWMP - ..... का कार्य क्षेत्र निम्नानुसार है :–

सरल क्र.	विकासखण्ड	माइक्रोवाटशेड कोड नंबर (एटलस के अनुसार)	शामिल ग्राम पंचायत	शामिल ग्राम	उपचार हेतु स्वीकृत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
योग					

2/ भारत सरकार द्वारा वाटरशेड विकास परियोजनाओं के लिए वर्ष 2008 में जारी समान मार्गदर्शी सिद्धांत में वर्णित उद्देश्यों तथा अपेक्षित परिणामों की प्राप्ति हेतु कंडिका – 1 में उल्लेखित जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजना की आयोजना, कार्यान्वयन, पर्यवेक्षण, अनुश्रवण एवं अन्य आवश्यक नियोजन के लिए आज दिनांक ....., माह ....., वर्ष ..... को ..... (जिला) में यह समझौता अनुबंध निम्नानुसार वर्णित पक्षों (जो अभिव्यक्ति उसके स्वयं अथवा उसके प्राधिकारी अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि से अर्थ रखेगी और समाहित करेगी) के बीच निष्पादित किया जाता है :–

प्रथम पक्ष	**द्वितीय पक्ष**
जिला वाटरशेड सेल सह डाटा सेन्टर **प्रतिनिधित्व –** **जिला वाटरशेड सेल सह डाटा सेंटर के समन्वयक** **नाम .....** **पिता/पति का नाम .....** **कार्यालय का पता .....**	**परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (पी.आई.ए.) –** ..... (पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग/कृषि विज्ञान केन्द्र/स्वयंसेवी संगठन का नाम/कार्पोरेट सेक्टर के संगठन का नाम/शासकीय विभाग के जिला स्तरीय संगठन का नाम व पता) **वाटरशेड डेवलपमेंट टीम (डब्ल्यू.डी.टी.) के सदस्य –** **क्र. | नाम | विषय विशेषज्ञ** | | | | | | | | | | | | **प्रतिनिधित्व –** **पी.आई.ए./वाटरशेड डेवलपमेंट टीम के टीम लीडर नाम .....**

	पिता/पति का नाम ..... **कार्यालय का पता .....**

3/ उक्त दोनों पक्षकार विधि की सीमा में रहने की दृढ़ता से निम्नानुसार शर्तों एवं अनुबंध को स्वीकार करते हैं।

4/ **प्रथम पक्ष के दायित्व – प्रथम पक्ष यह वादा करता है कि :–**

4.1 द्वितीय पक्ष द्वारा परियोजना के संबंध में प्रस्तुत प्रारंभिक कार्य कलाप (Entry Point Work), प्रशिक्षण व क्षमता विकास, सामुदायिक संगठन के प्रस्तावों तथा कार्य योजना (Detailed Project Report) का परीक्षण कर सक्षम अधिकारी/समितियों से अनुमोदित करायेगा।

4.2 द्वितीय पक्ष को सौंपे गये दायित्वों के निर्वहन के लिए परियोजना के विभिन्न क्रियाकलापों हेतु विभिन्न मदों के तहत सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरांत निर्धारित मानदण्ड अनुसार परियोजना की निधियां सुचारू एवं समयबद्ध रूप से जारी करेगा तथा इसमें पूर्ण पारदर्शिता बरतेगा।

4.3 द्वितीय पक्ष को परियोजना की आयोजना एवं कार्यान्वयन के लिए आवश्यकतानुसार समन्वय प्रदान करेगा तथा तकनीकी सहायता उपलब्ध करायेगा।

4.4 परियोजना का अनुश्रवण, पर्यवेक्षण, निगरानी तथा मूल्यांकन का कार्य नियमित रूप से करेगा।

4.5 द्वितीय पक्ष से परियोजना की प्रगति एवं अन्य अपेक्षित दस्तावेज समय पर प्राप्त कर मिशन मुख्यालय/भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग को निर्धारित समय में प्रस्तुत करेगा।

4.6 उत्पादकता तथा आजीविका के स्त्रोतों और साधनों में वृद्धि करने हेतु कृषि, बागवानी, ग्रामीण विकास, पशुपालन आदि के सुसंगत कार्यक्रमों/गतिविधियों का परियोजना के साथ समन्वय हेतु ग्रामीण विकास विभाग तथा अन्य विभागों के साथ अभिसरण (Convergence), समन्वय और तालमेल कर द्वितीय पक्ष को आवश्यक सहयोग उपलब्ध करोगा।

4.7 परियोजना के वार्षिक कार्य योजना (Annual Action Plan) और आयोजना, कार्यान्वयन, वित्त प्रवाह, मॉनिटरिंग आदि विषयों के संबंध में संपूर्ण आंकड़े/डाटाबेस संधारित करेगा तथा इसे मिशन मुख्यालय और राष्ट्र स्तरीय आंकड़ा केन्द्र के साथ जोड़ेगा।

4.8 मिशन मुख्यालय/भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग द्वारा समय समय पर सौंपे गये निर्देशों और कार्यों का पी.आई.ए. तथा डब्ल्यू.डी.टी. द्वारा निष्पादन करायेगा।

5/ **द्वितीय पक्ष के दायित्व – द्वितीय पक्ष यह वादा करता है कि :–**

5.1 परियोजना के कार्य क्षेत्र में प्रारंभिक चरण के अंतर्गत वातावरण निर्माण तथा ग्रामीणों को परियोजना के उद्देश्यों, कार्यों और विविध पहलुओं से अवगत करायेगा। इसी चरण में प्रारंभिक कार्यकलाप (Entry Point Work) की आयोजना और गुणवत्तापूर्ण कार्यान्वयन करेगा।

5.2 परियोजना के कार्य क्षेत्र में ग्रामीणों तथा ग्राम समुदायों के साथ और वाटरशेड कमेटी की सक्रिय भागीदारी से सहभागी आधारमूलक सर्वेक्षण, सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन, सहभागी संसाधन सर्वेक्षण, नेट प्लानिंग, तकनीकी सर्वेक्षण, वैज्ञानिक सर्वेक्षण एवं अन्य प्रक्रियायें अपनाकर परियोजना के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मिट्टी, पानी और वानस्पतिक संसाधनों के संरक्षण, संवर्धन व विकास, संवहनीय ग्रामीण आजीविका तथा कृषि उत्पादन प्रणालियों के विकास हेतु प्रावधानित कार्यों का चयन, हितग्राहियों का चयन, कार्य स्थलों का निर्धारण और उच्च गुणवत्तायुक्त तथा तकनीकी रूप से परिपूर्ण विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (Detailed Project Report) तैयार करेगा। इसमें प्रस्तावित कार्यों की इंजीनियरिंग डिजाईन व ड्राइंग स्थानीय विशिष्टताओं व तकनीकी मानकों के अनुसार तैयार करना, लागतों का निर्धारण, प्राक्कलन तैयार करना, विभिन्न मानचित्र तैयार करना और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने हेतु अन्य वांछित कार्य भी शामिल होंगे। इस कार्य में तकनीकी और वैज्ञानिक संगठनों से सहयोग लेना तथा समन्वय करेगा।

5.3 विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की ध्यानपूर्वक संवीक्षा करने के पश्चात प्रथम पक्ष को प्रस्तुत करेगा।

5.4 यह सुनिश्चित करने के लिए कि परियोजना रिपोर्ट में महिलाओं के प्रति संभावनाओं तथा उनके हितों को पर्याप्त रूप से सम्मिलित किया गया है, परियोजना के कार्य क्षेत्र में महिलाओं को संगठित करेगा।

5.5 परियोजना के कार्य क्षेत्र में उपयोगकर्ता समूहों, स्वसहायता समूहों तथा वाटरशेड समिति का गठन करवायेगा, इन्हें विकसित/पोषित करेगा, इनके कार्यों में सहयोग, समन्वय और मार्गदर्शन प्रदान करेगा और इन्हें अधिकार संपन्न बनाने हेतु आवश्यक तंत्र स्थापित करेगा। सामुदायिक संगठन हेतु अन्य कार्य करेगा।

5.6 परियोजना के कार्य क्षेत्र में वाटरशेड समिति को मार्गदर्शन प्रदान कर वार्षिक कार्य योजना तैयार करेगा तथा इसका अनुमोदन प्राप्त करेगा।

5.7 विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन अनुसार परियोजना कार्यान्वित करने के लिए परियोजना के कार्य क्षेत्र में वाटरशेड समिति को तकनीकी सहायता, मार्गदर्शन एवं समन्वय प्रदान करेगा।

5.8 परियोजना के कार्य क्षेत्र में विभिन्न स्टेक होल्डर की क्षमता निर्माण करेगा और उन्हें परियोजना के विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण प्रदान करेगा। तत्संबंध में प्रथम पक्ष से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करेगा।

5.9 ग्रामीण सामुदायिक संगठनों अथवा परियोजना से संबंधित विभिन्न संगठकों के विवादों का समाधान करेगा, ताकि परियोजना के कार्य प्रभावित न हो।

5.10 परियोजना के कार्य क्षेत्र में लक्षित हितग्राहियों के स्वसहायता समूहों के लिए संवहनीय आजीविका के विकास कार्यों की योजनाओं को तैयार करने और कार्यान्वयन में मार्गदर्शन, सहायता और समन्वय प्रदान करेगा।

5.11 परियोजना के कार्य क्षेत्र में कार्यों के कार्यान्वयन में किफायती तकनीकों/प्रौद्योगिकियों, अभिनव तकनीकों/प्रौद्योगिकियों, स्थानीय व ग्रामीणों के अनुभवों पर आधारित तकनीकों/प्रौद्योगिकियों को अपनाना तथा प्रोत्साहित करेगा।

5.12 परियोजना के कार्य क्षेत्र में अन्य कार्यक्रमों के साथ अभिसरण (Convergence) कर वेल्यू एडीशन करना और अन्य विकास कार्य करेगा।

5.13 परियोजना के कार्य क्षेत्र में सार्वजनिक सम्पत्ति संसाधन प्रबंधन (Common Property Resource Management) करायेगा।

5.14 परियोजना के कार्य क्षेत्र में कार्यान्वित हो रहे कार्य का पर्यवेक्षण, निगरानी, अनुश्रवण, आकलन, वास्तविक सत्यापन और मापन का कार्य करेगा।

5.15 परियोजना दस्तावेजों, लेखों, अभिलेखों, रिकार्ड व रजिस्टर का संधारण, रख–रखाव, निरीक्षण, प्रमाणीकरण करेगा। नियमित अंतराल पर लेखापरीक्षा की व्यवस्था करेगा।

5.16 परियोजना के कार्य क्षेत्र में आरंभ किए गए कार्यों की भौतिक और वित्तीय प्रगति का अंकेक्षण करेगा, प्रगति संधारित करेगा तथा समाजिक लेखा–परीक्षा की व्यवस्था करेगा। प्रत्येक कार्य के पूर्ण होने पर संपूर्ण विवरण सहित पूर्णता रिपोर्ट तैयार करेगा। नियमित अंतराल पर प्रगति प्रतिवेदन तथा कार्य पूर्णता रिपोर्ट प्रथम पक्ष को प्रस्तुत करेगा। प्रथम पक्ष द्वारा मांगे जाने पर परियोजना संबंधी सभी दस्तावेज व अभिलेख निगरानी के लिए उपलब्ध करेगा।

5.17 विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के अनुरूप परियोजना के सभी कार्यकलाप निर्धारित परियोजना अवधि में पूर्ण करायेगा।

5.18 भविष्य में उपयोग के लिए परियोजना के कार्यों के कार्यान्वयन से प्राप्त प्रतिफल/परिणामों, सफल अनुभवों तथा अर्जित ज्ञान के आलेख तैयार करेगा।

5.19 परियोजना उपरांत प्रचालन, अनुरक्षण तथा परियोजना अवधि के दौरान सृजित संरचनाओं/परिसम्पत्तियों के उपयोग, रख रखाव व इनसे जनित संसाधनों, उत्पादों व लाभों के विपणन, उपयोग तथा वितरण की उपयुक्त प्रणालियां और व्यवस्थाएं स्थापित करेगा।

5.20 सौंपे गये दायित्वों के अनुक्रम में परियोजना के कार्यकलापों के लिए आवश्यक अनुमोदन/स्वीकृतियां प्राप्त करेगा। परियोजना के कार्यकलापों के कार्यान्वयन हेतु निर्दिष्ट मदों में प्राप्त होने वाली राशि का परियोजना खाते में समुचित संधारण और अनुमोदित/स्वीकृत कार्यकलापों के निष्पादन/कार्यान्वयन के लिए निर्धारित मानदण्ड तथा वित्तीय नियमों के अनुसार इस राशि का समुचित उपयोग, भुगतान इत्यादि सुनिश्चित करेगा तथा संबंधित लेखों, रिकार्ड व रजिस्टर का नियमित संधारण, परीक्षण व निगरानी कर समुचित वित्तीय प्रबंधन करेगा। नियमित लेखा परीक्षण और लेखा अंकेक्षण करायेगा।

5.21 सौंपे गये दायित्वों के अनुरूप विभिन्न कार्यकलापों का नियमानुसार निर्वहन स्वयं करेगा तथा जब तक मिशन मुख्यालय अथवा प्रथम पक्ष द्वारा निर्देशित न किया जाये, तब तक सौंपे गये दायित्वों का कोई भी अंश किसी अन्य संस्था/व्यक्ति को कदापि नहीं देगा।

5.22 सौंपी गई परियोजना के नियोजन व प्रबंधन हेतु परियोजना के कार्य क्षेत्र में पूर्णकालिक कार्यालय का प्रचालन करेगा।

5.23 भारत सरकार; ग्रामीण विकास मंत्रालय; भूमि संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश शासन; पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मिशन मुख्यालय तथा प्रथम पक्ष द्वारा परियोजना की आयोजना, कार्यान्वयन तथा अनुश्रवण हेतु समय समय पर सौंपे गये दायित्वों का निर्वहन करेगा और दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

6/ **अनुबंध की अवधि :** यह अनुबंध दोनों पक्ष के हस्ताक्षर होने की तिथि से लेकर 04 – 07 वर्ष (जैसा कि परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में निर्धारित किया जाये) अथवा परियोजना की समाप्ति, जो भी पहले हो, की अवधि के लिए प्रभावशील रहेगा। प्रथम पक्ष की अनुशंसा तथा मिशन मुख्यालय के अनुमोदन से इस अनुबंध की अवधि को आवश्यकता/परिस्थिति अनुरूप परिवर्तित किया जा सकेगा।

7/ **अन्य कार्यवाही, अनुबंध को निरस्त करना और परियोजना को समय पूर्व बंद करना :** इस अनुबंध में वर्णित किसी भी शर्त का पी.आई.ए. व डब्ल्यू.डी.टी. द्वारा उल्लंघन की दशा में अथवा पी.आई.ए. व डब्ल्यू.डी.टी. द्वारा उनको सौंपे गये दायित्वों का निर्वहन न करने पर/इसमें असफल रहने पर अथवा बिना कोई वैध औचित्य/कारण के तीन माह से अधिक समय तक परियोजना के अंतर्गत अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर अथवा पी.आई.ए. व डब्ल्यू.डी.टी. द्वारा परियोजना के प्रति निरन्तर उदासीनता बरतने पर/कार्य के संपादन में व्यवधान उत्पन्न किये जाने की दशा में अथवा संपादित

कार्य की उचित गुणवत्ता नहीं होने पर अथवा प्रामाणिक अनियमितता पाये जाने पर अथवा भारत सरकार/राज्य शासन/जिला स्तरीय वाटरशेड सेल सह डाटा सेंटर के निर्देशों की अवहेलना की स्थिति में अथवा अन्य कोई कारण/परिस्थिति की दशा में जो भारत सरकार/राज्य शासन/जिला स्तरीय वाटरशेड सेल सह डाटा सेंटर द्वारा परियोजना को समय पूर्व बंद किये जाने को सही ठहराता हो, नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने के लिए प्रथम पक्ष अधिकृत होगा अथवा निर्धारित परियोजना अवधि के समय से पूर्व यह अनुबंध निरस्त किये जाने व परियोजना को समय पूर्व बंद (Foreclosure) का निर्णय प्रथम पक्ष द्वारा मिशन मुख्यालय के अनुमोदन उपरांत लिया जा सकेगा। विवाद की स्थिति में संचालक, राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन का निर्णय अंतिम होगा।

8/ वार्षिक परिणाम (Annual Outcome) : पी.आई.ए. व डब्ल्यू.डी.टी. द्वारा उन्हें सौंपे गये दायित्वों का समयबद्ध व सुचारू निष्पादन किया जायेगा, ताकि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में वर्षवार निर्धारित कार्य संबंधित वर्ष में पूर्ण हो सकें और निम्नानुसार वार्षिक परिणाम प्राप्त हो सकें :–

क्र.	परिणाम	वर्ष जिसमें परिणाम की प्राप्ति सुनिश्चित की जानी है				
		प्रथम	द्वितीय	तृतीय	चतुर्थ	पंचम
1.	वातावरण निर्माण, जागरूकता सृजन तथा ग्रामीणों के साथ संपर्क स्थापित करना	↔				
2.	प्रारंभिक कार्यकलाप (Entry Point Work) की आयोजना, अनुमोदन तथा गुणवत्तापूर्ण कार्यान्वयन	↔				
3.	ग्राम स्तरीय सामुदायिक संगठनों नामतः उपयोगकर्ता समूह, स्वसहायता समूह, वाटरशेड समिति का गठन कराना	↔				
4.	विभिन्न सर्वेक्षण संपादित कर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करना तथा इसका अनुमोदन प्राप्त करना	↔				
5.	ग्राम स्तरीय सामुदायिक संगठनों की क्षमतावर्धन तथा प्रशिक्षण आयोजित करना	←	—	—	—	→
6.	शिखर क्षेत्र (Ridge Line) के उपचार कार्य का कार्यान्वयन	←	→			
7.	मृदा संरक्षण व मृदा नमी संरक्षण के कार्य का कार्यान्वयन		←	→		
8.	ड्रेनेज लाईन के उपचार कार्य का कार्यान्वयन		←	—	→	
9.	भूजल रिचार्ज के कार्यों का कार्यान्वयन		←	—	→	
10.	कृषि योग्य भूमि व गैर कृषि योग्य भूमि के उपचार कार्य का कार्यान्वयन		←	—	→	
11.	वृक्षारोपण के कार्य का कार्यान्वयन			←	→	
12.	घास उत्पादन के कार्य का कार्यान्वयन			←	→	
13.	कृषि उत्पादन प्रणालियों के संवर्धन तथा उत्पादन में बढ़ौतरी के कार्यों का कार्यान्वयन		←	—	→	
14.	कृषि से इतर ग्रामीण आजीविका तथा माइक्रोइंटरप्राईजेस संबंधी कार्यों का कार्यान्वयन		←	—	—	→
15.	सार्वजनिक संपत्ति जनित संसाधनों का प्रबंधन			←	—	→
16.	अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों के साथ अभिसरण		←	—	—	→
17.	परियोजना के लेखों, अभिलेखों का समुचित संधारण व	←	—	—	—	→

	समुचित वित्तीय प्रबंधन					
18.	वार्षिक आडिट कराना	←	—	—	—	→
19.	सामाजिक अंकेक्षण कराना		←	—	—	→
20.	परियोजना समाप्ति पर विभिन्न कार्यों का समेकन (Consolidation) करना					↔
21.	**..... अन्य आवश्यक परिणाम जो स्थानीय स्तर पर निर्धारित किया जाये ..**					
22.	**..... अन्य आवश्यक परिणाम जो स्थानीय स्तर पर निर्धारित किया जाये ..**					
23.	**..... अन्य आवश्यक परिणाम जो स्थानीय स्तर पर निर्धारित किया जाये ..**					

(उक्त परिणाम न्यूनतम हैं तथा उन्हें प्राप्त करने का दर्शित वर्ष भी सांकेतिक है। जिले में परियोजनावार इन परिणामों में और भी परिणाम जोड़े जा सकते हैं तथा उन्हें प्राप्त करने के वर्ष में भी परिवर्तन किया जा सकता है।)

यह समझौता अनुबंध आज दिनांक / / को उपरोक्त दोनों पक्षों के मध्य गवाहों के समक्ष निष्पादित किया जाता है।

प्रथम पक्ष

जिला वाटरशेड सेल सह डाटा सेंटर के समन्वयक
नाम .....
पिता/पति का नाम .....
कार्यालय का पता .....

द्वितीय पक्ष

पी.आई.ए./वाटरशेड डेवलपमेंट टीम के टीम लीडर
नाम .....
पिता/पति का नाम .....
कार्यालय का पता .....

गवाहों के हस्ताक्षर, नाम एवं पूरा पता

1.....

2.....

अनुलग्नक – 2

जिला वाटरशेड सेल सह डाटा सेंटर द्वारा पी.आई.ए. की नियुक्ति व डब्ल्यू.डी.टी. के गठन हेतु जारी की जाने वाली अधिसूचना का सांकेतिक प्रारूप

//अधिसूचना //

1/ भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग के ज्ञापन क्र....., दिनांक ..... द्वारा एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम (Integrated Watershed Management Programme) के अंतर्गत रू. ..... लाख की लागत से स्वीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजना : IWMP - ..... का कार्य क्षेत्र निम्नानुसार है :–

सरल क्र.	विकासखण्ड	माइक्रोवाटशेड कोड नंबर (एटलस के अनुसार)	शामिल ग्राम पंचायत	शामिल ग्राम	उपचार हेतु स्वीकृत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
योग					

2/ उपरोक्तानुसार स्वीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजना : IWMP - ..... की आयोजना, कार्यान्वयन व अनुश्रवण हेतु सौंपे गये दायित्वों के निर्वहन के लिए परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (पी.आई.ए.) की नियुक्ति तथा वाटरशेड डेवलपमेंट टीम (डब्ल्यू.डी.टी.) का गठन निम्नानुसार किया जाता है :–

2.1 परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (पी.आई.ए.) – ..... (पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग/कृषि विज्ञान केन्द्र/स्वयंसेवी संगठन का नाम/कार्पोरेट सेक्टर के संगठन का नाम/शासकीय विभाग के जिला स्तरीय संगठन का नाम व पता)

2.2 वाटरशेड डेवलपमेंट टीम (डब्ल्यू.डी.टी.) का विवरण –

क्र.	नाम	किस विषय के विशेषज्ञ हैं	टीम में पद स्थिति (टीम लीडर / टीम सदस्य)	पैतृक विभाग / संस्था का नाम व उसमें उस पद का नाम जिस पर पदस्थ हैं
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				

3 / उपरोक्तानुसार नियुक्त पी.आई.ए. तथा डब्ल्यू.डी.टी. मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा परियोजना स्तर की संस्थागत व्यवस्था के लिए जारी आदेश क्र.3846 / 22 / वि–9 / आरजीएम / आई.डब्ल्यू.एम.पी. / 2010 दिनांक 23 / 03 / 2010 में उल्लेखित दायित्वों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

हस्ताक्षर
(.....)
कलेक्टर एवं मिशन लीडर
राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिश्न

पृ.क्र.

1. संचालक, राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन, विकास आयुक्त कार्यालय, विंध्याचल भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. ....., पी.आई.ए. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. ....., डब्ल्यू.डी.टी. सदस्य की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

हस्ताक्षर
(.....)
कलेक्टर एवं मिशन लीडर
राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिश्न